

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103001912016

दांडिक प्रकरण क.-469 / 16

संस्थापित दिनांक-16.11.2016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर। <div>.....अभियोजन</div>
विरुद्ध
01-कल्लू पुत्र जगन्नाथ प्रजापति उम्र 60 साल निवासी हौज खास मोहल्ला तालाब चंदेरी। 02-फूलन देवी उर्फ फूलन बाई पत्नी कल्लू प्रजापति उम्र 55 साल निवासी हौज खास मोहल्ला तालाब चंदेरी। <div>.....आरोपीगण</div>
राज्य द्वारा :- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.। आरोपीगण द्वारा :- श्री चौरसिया अधिवक्ता।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 12.04.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 294, 323, 324, 34 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02— प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपीगण का फरियादी से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपीगण को भादवि की धारा 294, 323 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 324/34 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी ववलू ने दिनांक 18.08.16 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को उसके चाचा व चाची फूलन देवी झांसी से लौटकर आए और चाचा कल्लू उसके पत्थर हटाने लगे। जब उसने उनसे मना किया तो कल्लू उसे मां-बहन की बुरी-बुरी गालियां देने लगा और बोले कि हमारी जमीन है। और जब उसने गाली देने से मना किया तो उसे धक्का मार दिया जिससे उसकी व चाचा की झूमाझटकी हो गई। इतने में चाची फूलन देवी कुल्हाड़ी लेकर आई और सिर में कुल्हाड़ी मारी जिससे उसके सिर में लगी और खून निकलने लगा। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 403/16 के अंतर्गत भादवि की धारा 294, 324, 34 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 294, 323, 324, 34 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 18.08.16 को समय 18.30 बजे फरियादी के

घर के सामने, आम जगह, हौज खास मोहल्ला चंदेरी पर सामान्य आशय के अग्रसरण में अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी बबलू को कुल्हाड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 बबलू की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 बबलू ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपीगण को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट एवं गाली गलौच की थी तथा इसके अलावा और किसी वस्तु से नहीं मारा था। अ.सा. 01 के अनुसार उसने प्रपी 01 की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी तथा पुलिस ने नक्शामौका प्रपी 02 तैयार किया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसकी चाची ने उसके सिर में कुल्हाड़ी से मारा था। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन प्रपी 03 देने से इंकार किया है। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षी के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षी ने अपने कथनों में यह नहीं बताया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा उसके साथ कुल्हाड़ी से मारपीट की गई। इस प्रकार अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा फरियादी के साथ धारदार हथियार से मारपीट की गई।

09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपीगण को भादवि की धारा 324/34 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा कुल्हाडी मूल्यहीन होने से अपीलवाधि पश्चात् नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन हो।

12— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)